

## प्रेस नोट दिनांक-31.01.2024

अपराध नियंत्रण की दिशा में कार्य करते हुये थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू किया गया बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में अपराध नियंत्रण की दिशा में कार्य करते हुए थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 20/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त मोनू उर्फ बिल्ली को एक अदद नाजायज चाकू के साथ दिनांक 31/01/2024 को गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मोनू उर्फ बिल्ली पुत्र मान सिंह निवासी लोधी मोहल्ला थाना कोतवाली जनपद इटावा उम्र 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास –

अभियुक्त मोनू उर्फ बिल्ली पुत्र मान सिंह

1-मु0अ0सं0 24/2019 धारा 4/10 उ0प्र0 गुंडागर्दी नियंत्रण अधि0 थाना कोतवाली इटावा

2-मु0अ0सं0 212/2017 धारा 323,324,326,452,504,506 IPC थाना कोतवाली इटावा

3-मु0अ0सं0 318/2020 धारा 4/25 A ACT थाना कोतवाली इटावा

4-मु0अ0सं0 323/2023 धारा 13 G ACT थाना कोतवाली इटावा

5- मु0अ0सं0 407/2017 धारा 4/25 A ACT थाना कोतवाली इटावा

6-मु0अ0सं0 637/2017 धारा 4/25 A ACT थाना कोतवाली इटावा

7- मु0अ0सं0 530/2016 धारा 394,411 IPC थाना कोतवाली इटावा

### बरामदगी का विवरण

1. एक नाजायज चाकू/छुरी

पुलिस टीम-

निरीक्षक श्री विक्रम सिंह चौहान प्रभारी थाना कोतवाली इटावा, म0उ0नि0 अंशु मिश्रा मय  
टीम ।